रजिस्टर्ड

प्रेषक,

क्षेत्रीय सचिव,
माध्यमिक शिक्षा परिषद,
क्षेत्रीय कार्यालय,इलाहाबाद।

सेवा में,

प्रबन्धक,

न्यू स्टैन्डर्ड पब्लिक
स्कूल सलेथू महराजगंज
रायबरेली।----

पत्रांकःमा0शि0प0/मान्यता/इ/1166   दिनांक- 12/10/2012
(6-10)

विषयः सं0वे/हाईस्कूल (नवीन) की मान्यता प्रदान करने के सम्बन्ध में।

महोदय,

माध्यमिक शिक्षा परिषद की मान्यता समिति की संस्तुति पर सभापति,माध्यमिक शिक्षा परिषद के अनुमोदनोपरान्त शासन ने इण्टरमीडिएट शिक्षा(संशोधन) अधिनियम,1987 की धारा-7क(क) के अन्तर्गत आपकी संस्था न्यू स्टैण्डर्ड पब्लिक स्कूल सलेथू महराजगंज रायबरेली।------------------------को बालक/बालिका विद्यालय के रूप में परिषद की हाईस्कूल परीक्षा वर्ष 2014 से निम्नलिखित सामान्य एवं विशेष प्रतिबन्धों सहित एक साथ(वनटाइम) मान्यता सभी अनिवार्य एवं अतिरिक्त विषयों सहित इण्टरमीडिएट शिक्षा अधिनियम की धारा-7कक के प्रावधानों के अधीन दिये जाने का आदेश प्रदान किया है:-

<u>सामान्य प्रतिबन्ध</u>

(1) प्रबन्धाधिकरण कक्षा-9 की कक्षायें संचालित करने के पूर्व प्रशासन योजना,शिक्षण कार्य हेतु व्यवस्था,साज-सज्जा,शिक्षण सामग्री,प्रयोगशाला,भवन, पुस्तकालय, प्राभूत, सुरक्षित कोष एवं आर्थिक स्थिति और अन्य प्रतिबन्धों की पूर्ति तथा विद्यालय के अनुशासन व प्रशासन की व्यवस्था कर जिला विद्यालय निरीक्षक को अवगत करायें।

(2) इस मान्यता-पत्र के निर्गत होने की तिथि से दो वर्ष के अन्दर ही जिला विद्यालय निरीक्षक एवं परिषद को 9वीं कक्षा संचालित करने की विधिवत् लिखित सूचना रजिस्टर्ड डाक द्वारा दी जाय अन्यथा प्रदत्त मान्यता स्वतः समाप्त समझी जायेगी।

(3) साज-सज्जा की व्यवस्था शासन द्वारा निर्धारित मानक के अनुसार की जाये।

(4) इस पत्र में अंकित विषयों के अध्यापनार्थ परिषद द्वारा निर्धारित न्यूनतम योग्यता से युक्त व्यक्तियों को अपने स्रोतों से व्यवस्था के लिये प्रबन्धाधिकरण स्वंय उत्तरदायी होगा।

(5) विद्यालय की प्रशासनिक एवं शिक्षण की व्यवस्था प्रबन्धाधिकरण द्वारा अपने स्रोतों से की जायेगी।

(6) नवीन कक्षाएं संचालित करने के समस्त व्यय प्रबन्धाधिकरण द्वारा स्वंय वहन किया जायेगा तथा इस निमित्त कोई अनुदान देय नहीं होगा।

कृ0पृ0उ0

PRINCIPAL
New Standard Public School
Salethu. Maharajganj-Raebareli

Manager
NEW STANDARD PUBLIC SCHOOL
Salethu, Maharajganj-Rae Bareli

विशेष प्रतिबन्ध

(क) संस्था द्वारा प्रेषित मान्यता सम्बन्धी विवरण में यदि कोई सूचना गलत पायी जाती है तो विद्यालय को प्रदत्त मान्यता निरस्त कर दी जायेगी,जिसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व संस्था के प्रबन्धाधिकरण का होगा।

(ख) विद्यालय का प्रबन्धतंत्र प्रत्येक तीन माह में विद्यालय में कार्यरत अध्यापकों एवं कर्मचारियों की सूची उनकी शैक्षणिक योग्यताओं के साथ परिषद के क्षेत्रीय कार्यालय को अनिवार्य रूप से उपलब्ध करायेगें अन्यथा विद्यालय को प्रदत्त मान्यता प्रत्याहरित कर ली जायेगी।

(ग) विद्यालय में प्राइमरी की कक्षाएं मान्य एवं संचालित नहीं होंगी।

टिप्पणी—इस पत्र में अंकित समस्त सामान्य एवं विशेष प्रतिबन्धों की पूर्ति 6(छः) माह के अन्दर किया जाना आवश्यक होगा।

भवदीय,

क्षेत्रीय सचिव,
माध्यमिक शिक्षा परिषद,
क्षेत्रीय कार्यालय,इलाहाबाद।

पृष्ठांकन सं0:मा0शि0प0 / मान्यता / इ / दिनांक— 20

प्रतिलिपि निम्नलिखित अधिकारियों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:—

1— जिला विद्यालय निरीक्षक। रायबरेली

2— संभागीय संयुक्त शिक्षा निदेशक। लखनऊ

3— हाईस्कूल परीक्षा अनुभाग,माध्यमिक शिक्षा परिषद,क्षेत्रीय कार्यालय,इलाहाबाद।

4— सचिव,माध्यमिक शिक्षा परिषद,मुख्य कार्यालय,इलाहाबाद।

क्षेत्रीय सचिव,
माध्यमिक शिक्षा परिषद,
क्षेत्रीय कार्यालय,इलाहाबाद।

PRINCIPAL
New Standard Public School
Salethu. Maharajganj-Raebareli

Manager
NEW STANDARD PUBLIC SCHOOL
Salethu, Maharajganj-Rae Bareli

रजिस्टर्ड

प्रेषक,

क्षेत्रीय सचिव,
माध्यमिक शिक्षा परिषद,
क्षेत्रीय कार्यालय,इलाहाबाद।

सेवा में,

प्रबन्धक,

~~न्यू स्टैन्डर्ड पब्लिक~~ स्कूल

सलेथू महराजगंज रायबरेली।

पत्रांकःआई0वी0मान्यता / इ / 1167 दिनांक– 12/10/2012

विषयः इण्टरमीडिएट परीक्षा के लिये नवीन / ~~अतिरिक्त~~ वर्ग / ~~विषय~~ की मान्यता के सम्बन्ध में।

महोदय,

शासन ने मान्यता समिति एवं सभापति,माध्यमिक शिक्षा परिषद की संस्तुति के उपरान्त इण्टरमीडिएट शिक्षा(संशोधन) अधिनियम,1987 की धारा–7क(क) के अन्तर्गत आपके विद्यालय को बालक / ~~बालिका~~ विद्यालय के रूप में परिषद की वर्ष–2014 की इण्टरमीडिएट परीक्षा से निम्नलिखित वर्ग / विषयों में सामान्य व विशेष प्रतिबन्धों के साथ नवीन / ~~अतिरिक्त~~ वर्ग / ~~विषयों~~ में मान्यता इण्टरमीडिएट शिक्षा(संशोधन) अधिनियम की धारा–7कक के प्राविधानों के अधीन प्रदान किया है।

सामान्य प्रतिबन्ध

(1) इण्टरमीडिएट शिक्षा(संशोधन) अधिनियम,1987 की धारा–7क(क) के प्राविधानों के अन्तर्गत इस पत्र द्वारा नवीन / वर्ग / विषय की प्रदत्त मान्यता को 11 वीं कक्षा संचालित करने के पूर्व शिक्षा के प्रबन्ध की व्यवस्था,शिक्षण व्यवस्था,साज--सज्जा,शिक्षणसामग्री,प्रयोगशाला,भूमि / भवन,पुस्तकालय,प्राभूत कोष, सुरक्षित कोष एवं आर्थिक स्थिति और अन्य प्रतिबन्धों की पूर्ति कर ली जाय तथा विद्यालय के अनुशासन एवं प्रशासन की व्यवस्था सुनिश्चित कर जिला विद्यालय निरीक्षक के माध्यम से परिषद को अवगत करायें।

(2) इस मान्यता पत्र के निर्गत होने की तिथि से दो वर्ष के अन्दर ही संस्था द्वारा जिला विद्यालय निरीक्षक एवं परिषद कार्यालय को 11 वीं कक्षा संचालित करने की विधिवत लिखित सूचना रजिस्टर्ड डाक द्वारा दी जाय,अन्यथा इस पत्र द्वारा प्रदत्त मान्यता स्वतः समाप्त समझी जायेगी।

(3) इस पत्र में अंकित विषयों के अध्यापनार्थ परिषद द्वारा निर्धारित न्यूनतम योग्यताधारी पात्र व्यक्ति को कार्य पर लगाया जाय।

(4) नियमानुसार एक योग्य प्रधानाचार्य / प्रधानाचार्या की नियुक्ति की जाय। यह प्रतिबन्ध केवल इण्टरमीडिएट की नवीन मान्यता पर ही प्रभावी होगा।

(5) इस पत्र द्वारा प्रदत्त मान्यता की नवीन कक्षायें संचालित करने का समस्त व्यय प्रबन्धाधिकरण द्वारा स्वयं वहन किया जायेगा तथा इण्टरमीडिएट शिक्षा (संशोधन) अधिनियम,1987 की धारा–7कक के समस्त प्राविधान यथावत् लागू होंगे। इस निमित्त कोई अनुदान देय नहीं होगा।

कृ0पृ0उ0

PRINCIPAL
New Standard Public School
Salethu, Maharajganj-Raebareli

Manager
NEW STANDARD PUBLIC SCHOOL
Salethu, Maharajganj-Rae Bareli

विशेष प्रतिबन्ध

(क) संस्थाधिकारी द्वारा मान्यता सम्बन्धी प्रस्तुत किये गये विवरण में यदि कोई सूचना/प्रमाण गलत अथवा मिथ्या पाया जाता है अथवा कोई तथ्य छिपाया जाता है तो विद्यालय को प्रदत्त मान्यता निरस्त कर दी जायेगी,जिसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व प्रबन्धाधिकरण का होगा।

(ख) विद्यालय का प्रबन्धतंत्र प्रत्येक तीन माह में विद्यालय में कार्यरत अध्यापकों एवं कर्मचारियों की सूची उनकी शैक्षणिक योग्यताओं के साथ परिषद के क्षेत्रीय कार्यालय को अनिवार्य रूप से उपलब्ध करायेगे अन्यथा विद्यालय को प्रदत्त मान्यता प्रत्याहरित कर ली जायेगी।

(ग) प्रतिभूति राशि रू0 10,000/= (प्रति वर्ग रू0 5000/=) विद्यालय के नाम जमा व निरीक्षक के पदनाम में बंधक कराकर प्रमाण निरीक्षक के माध्यम से प्रेषित करें।

प्रदत्त मान्यता का विवरण

वर्ग	अनिवार्य विषय	वैकल्पिक विषय
इण्टर वैज्ञानिक वर्ग नवीन एवं	हिन्दी	अंग्रेजी, गणित, रसायन विज्ञान भौतिक विज्ञान, तथा जीव विज्ञान।
इण्टर वाणिज्य वर्ग नवीन	हिन्दी	विवरण पत्रिका के अनुसार।

टिप्पणी:–उक्त पत्र में अंकित समस्त सामान्य एवं विशेष प्रतिबन्धों की पूर्ति 6(छः) माह के अन्दर किये जाने की आख्या एवं प्रमाण निरीक्षक के माध्यम से प्रेषित किया जाना आवश्यक होगा।

भवदीय,

क्षेत्रीय सचिव,
माध्यमिक शिक्षा परिषद,
क्षेत्रीय कार्यालय,इलाहाबाद।

पृष्ठांकन संख्या:आइ0वी0मान्यता/ इ/ दिनांक– 20

उपर्युक्त की प्रतिलिपि निम्नलिखित अधिकारियों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:–

1 जिला विद्यालय निरीक्षक। रायबरेली
2– सम्भागीय संयुक्त शिक्षा निदेशक। लखनऊ
3– सम्भागीय उप शिक्षा निदेशक। लखनऊ
4– इण्टरमीडिएट परीक्षा अनुभाग को अभिलेख हेतु।
5– सचिव,माध्यमिक शिक्षा परिषद,मुख्य कार्यालय।

क्षेत्रीय सचिव,
माध्यमिक शिक्षा परिषद,
क्षेत्रीय कार्यालय,इलाहाबाद।

PRINCIPAL
New Standard Public School
Salethu Maharajganj-Raebareli

Manager
NEW STANDARD PUBLIC SCHOOL
...ganj-Rae Bareli